## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

## अधिसूचना

सं संख्या—5 न0वि०/वि०—107/2016 6407/बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या—2388 दिनांक—30.03.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा–5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा–6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतदद्वारा रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को ही नगर परिषद, विक्रमगंज के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद, विक्रमगंज कहा जाएगा।

यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी। 2.

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या—5 न0वि०/वि०—107/2016 **6407**/न0वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक—**26/9/17**-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास, विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या—5 न0वि०/वि०—107/2016 **64° 7**/न0वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक— **26/9/17** 

प्रतिलिपि:-सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, रोहतास / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संख्या-5 न0वि०/वि०-107/2016 **6407**/न0वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक- **१६/९**/१७

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

> प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसूचना

संख्या-5 न०वि०/वि०-107/2016 ६५० 🖰 अधिसूचना संख्या-दिनांक— /का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(चैतन्य प्रसाद) प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar **Urban Development and Housing Department** 

/After due consideration on objections received under Memo No- No-5 N.Vi/Vi-107/2016 section-5 for transitional areas declared by previously published draft Notification No-2388 dated-30.03.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007), in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, the Government of Bihar is hereby constitutes the areas falling in the present circle of Nagar Panchayat, Bikramganj and its present boundaries within the district of Rohtas as the Nagar Parishad, Bikramganj which will be called the Nagar Parishad, Bikramganj.

This notification shall come to force at once. 2. By the order of (Chaitanya Prasad) **Principal Secretary** Urban Development and Housing Department 6408 Memo No-5 N.Vi/Vi-107/2016 UD&HD Dated:- 26/9/17 Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Appear Development and Housing Department. Principal Secretary Urban Development and Housing Department 6408 Memo No-5 N.Vi/Vi-107/2016 UD&HD Dated: - 16/9/17 Copy to All Departments/ Departmental Heads/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Rohtas/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action Principal Secretary Urban Development and Housing Department 6408

UD&HD

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information

**Principal Secretary** Urban Development and Housing Department

Daysd:- 1(19117

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\Ranjan\Final Notification of Bikramganj.doc

Memo No-5 N.Vi/Vi-107/2016

and necessary action.